न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 120/2018/ जिला–अजमेर (2018/00120)

1. श्री मोड सिंह पुत्र सुजान सिंह
2. श्री हरि सिंह पुत्र सुजान सिंह पुत्र (मृतक जरिये विधिक वारिसान):–
   2/1 श्रीमती चांद कंवर पत्नी हरि सिंह
   2/2 रूप सिंह पुत्र हरि सिंह
   2/3 चतर सिंह पुत्र हरि सिंह
   2/4 शैतान सिंह पुत्र हरि सिंह
   2/5 सरे कंवर पुत्री हरि सिंह
3. किरण सिंह पुत्र सुजान सिंह
4. श्रीमति गुमान कंवर पुत्री सुजान सिंह
5. श्रीमति मोहन कंवर पुत्री सुजान सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी नया शहर किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. सायर कंवर पत्नी केसर सिंह (मृतक) जरिये वारिसान :–
2. भंवर सिंह पुत्र केसर सिंह
3. उच्छब कंवर पुत्री केसर सिंह
4. दातार सिंह पुत्र केसर सिंह
5. रघुनाथ सिंह पुत्र केसर सिंह
6. भगवान सिंह पुत्र केसर सिंह
7. प्रेम कंवर पुत्री केसर सिंह
8. मैना कंवर पुत्री केसर सिंह
9. समझ कंवर पुत्री केसर सिंह
10. करतार सिंह पुत्र केसर सिंह
11. लाड कंवर पुत्री केसर सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरी पंचायत समिति पीसांगन तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
12. राम बाबू कसाना पुत्र रामनारायण कसाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम नासनोदा पोस्ट गाडोता तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 02–04–2008 जो तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थित– 1. श्री शशि कान्त जोशी अभिभाषक, अपीलार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 19.07.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में स्थित विवादग्रस्त आराजियात गत खसरा नम्बर 212 मिन रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 336 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 337/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 339 रकबा 6 बीघा कुल किता 3 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण के पिता सुजान सिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढ़ थे। अपीलार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर उनके पूर्वज सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह के विधिक वारिसान है। सजरे के मुताबिक अपीलार्थीगण के मूल खातेदार किशन सिंह के दो पुत्र क्रमशः धूल सिंह व हरनाथ सिंह (नाऔलाद फौत) हुए तथा धूल सिंह के दो पुत्र क्रमश सुजान सिंह व नाथू सिंह हुए जिसमें से नाथू सिंह की मृत्यु नाऔलाद फौत हो चुके है और सुजान सिंह के वारिसान बतौर पुत्र–पुत्री अपीलार्थीगण है। नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने एक प्रथम अपील संख्या 9/2008 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति व प्रत्यर्थी संख्या 2 से 11 के पिता के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–6–2008 से अपील आंशिक स्वीकार फरमाते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 02–04–2008 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार किशनगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि विवादित आराजी के खातेदार मृतक सुजान सिहं के वारिसान के संबंध में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक रूप से गहनतापूर्वक जांच करे तथा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे।

अपर जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 16–6–2008 के विरूद्ध केसर सिंह द्वारा एक द्वितीय अपील संख्या 98/2008 नये नम्बर 117/2011 (2011/00083) अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–5–2018 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक

2–4–2008 को प्रारम्भ से ही विवादित नामान्तरकरण की श्रेणी में मानते हुए इसकी प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निदेशक भू–अभिलेख अधिकारी अर्थात संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–6–2008 क्षेत्राधिकार विहीन घोषित कर इसे अपास्त कर दिया। चूंकि अपीलार्थीगण अपेक्षित नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 से व्यथित है और माननीय न्यायलय के निर्णय दिनांक 11–5–2018 से उक्त नामान्तरकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तय हो जाने से अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना एवं अखबार में साया उपरान्त भी अनुपस्थित। अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण ने तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 के विरूद्ध प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की है। प्रश्नगत प्रकरण में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 पूर्णतः प्रयोज्य है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा अपेक्षित नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 के विरूद्ध बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में (अपर जिला कलक्टर, अजमेर) सद्भावना पूर्वक कार्यवाही कर दी थी और उक्त न्यायालय एवं तदृपरान्त माननीय न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा की गई कार्यवाही में लगे समय को अपवर्जित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा अपेक्षित नामान्तरकरण के विरूद्ध सम्यक तत्परता से अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील संख्या 9/2008 के माध्यम से कार्यवाही की गई थी किन्तु उसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–5–2018 से क्षेत्राधिकार विहीन घोषित कर दिया है इसलिए अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 9/2008 के रोज से माननीय न्यायलय के निर्णय दिनांक 11–5–2018 की मध्यावधि को परिसीमा काल की संगणना में अपवर्जित करने के उपरानत प्रश्नगत अपील निर्धारित परिसीमा अवधि में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि धूल सिंह पुत्र किशन सिंह की मृत्य उनके दोनों पुत्रों क्रमशः सुजान सिंह व नाथू सिंह के जन्म के उपरान्त जल्दी हो गई थी जिस वजह से उक्त दोनों पुत्रों सुजान सिंह व नाथू सिंह का लालन पालन चाचा हरनाथ सिंह ने ही किया जिस कारण से गांव में एवं साधारण बोलचाल में इन्हे हरनाथ सिंह के पुत्र समझने लगे। उक्त बोलचाल की वजह से सुजान सिंह के नाम अभिलिखित खातेदारी आराजियात में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से सुजान सिंह के पिता का नाम हरनाथ सिंह अंकित कर दिया गया था। उक्त तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 मोड सिंह पुत्र सुजान सिंह द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के बाबत नोड्यूज प्रमाण पत्र लेने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 6–2–1984 को तहसीलदार किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे उन्होंने उसी रोज मार्क करते हुए मूल ही पटवारी हलका किशनगढ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित कर दिया। संबंधित पटवारी हलका किशनगढ़ के समक्ष उक्त मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उन्होंने इस पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 6–2–1984 अंकित करते हुए पुनः तहसीलदार को प्रेषित कर दी। उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अपीलार्थीगण के पिता सुजान सिंह की अभिलिखित आराजी है एवं सुजान सिंह की वल्दियत राजस्व अभिलेख में धूल सिंह अथवा सहवन से हरनाथ सिंह अंकित कर दिये जाने से विवादित आराजी अपीलार्थीगण के पिता सुजान सिंह के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति की नहीं हो जाती है और न ही उक्त लिपिकीय त्रुटि से अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकार विवादित आराजी पर समाप्त होते है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात के अभिलिखित खातेदार कृषक सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह का राजस्व रेकार्ड में सहवन से सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह अंकित हो गया था, की मृत्यु हो जाने के उपरान्त एक अन्य असंबंध व्यक्ति केसर सिंह प्रत्यर्थीगण संख्या 1 के पति एवं 2 से 11 के पिता ने स्वयं को सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह का पुत्र कथित करते हुए तहसीलदार किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26–3–2008 को अपीलार्थीगण के पीठ पीछे प्रस्तुत कर विवादित आराजी स्वयं के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में केसर सिंह ने ग्राम पंचायत खोरी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र, पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या 549 दिनांक 20–3–2008 बहक सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह (मृत्यु दिनांक 27–8–1986) एवं स्वयं का शपथ पत्र तथा विवादित आराजी की जमाबंदी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उन्होंने इसे जांच हेतु संबंधित पटवारी हलका को प्रेषित कर दिया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हलका मदनगंज ने अपनी रिपोर्ट कर उसे पुनः तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। मूल प्रार्थना पत्र मय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार किशनगढ़ ने अपने आदेश क्रमांक 1821 दिनांक 29–3–2008 से पटवारी हलका को आदेश पारित किये कि ''मूल प्रार्थना

पत्र पटवारी हलका मदनगंज को भेजकर लेख है कि मुताबिक प्रमाणित सजरा, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यचाही कर पालना करे।''

उन्होनें यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा भी तहसीलदार के समक्ष विरासतन नामान्तरकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 31–3–2008 को प्रस्तुत कर अपने मृत पिता की अभिलिखित आराजी स्वयं के नाम दर्ज करने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने पिता सुजान सिंह व माता उच्छब कंवर के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा उनके वारिसान का प्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया। तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे पटवारी हलका मदनगंज को प्रेषित कर दिया। चूंकि पटवारी हलका ने तहसीलदार किशनगढ़ के पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 29–3–2008 के आधार पर केसर सिंह पुत्र सुजान सिंह के पक्ष मे मृतक खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 29–3–2008 को भर दिया गया था और जिसकी पुष्टि संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी कर दी गई थी किन्तु उक्त नामान्तरकरण फैसल से शेष था और इसी दौरान अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र पटवारी हलका मदनगंज के समक्ष तहसीलदार किशनगढ से प्रेषित होकर प्राप्त हो गया किन्तु पटवारी हलका मदनगंज ने स्वयं अपने स्तर पर ही अपीलार्थीगण की वल्दियत, सजरा प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संदिग्ध मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 1491 को सही भरा हुआ होना अंकित कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 1–4–2008 संबंधित भू'अभिलेख निरीक्षक किशनगढ़ के समक्ष प्रेषित की जिसकी पुष्टि उन्होंने दिनांक 1–4–2008 को ही करते हुए इसे तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष प्रेषित कर दिया। तहसीलदार किशनगढ के समक्ष दोनों पत्रावलियों एवं नामान्तरकरण संख्या 1491 प्रस्तुत होने पर उन्होंने नामान्तरकरण संख्या 1491 को अपने आदेश दिनांक 2–4–2008 से स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने एक प्रथम अपील संख्या 9/2008 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 16–6–2008 से आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार किशनगढ़ को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि विवादित आराजी के खातेदार मृतक सुजान सिहं के वारिसान के संबंध में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक रूप से गहनतापूर्वक जांच करे तथा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे। अपर जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 16–6–2008 के विरूद्ध केसर सिंह द्वारा एक द्वितीय अपील संख्या 98/2008 नये नम्बर 117/2011 (2018/00120) अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–5–2018 से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 को विवादित नामान्तरकरण की श्रेणी में मानते हुए इसकी प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निदेशक भू–अभिलेख अधिकारी अर्थात संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को होने से प्रथम

अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–6–2008 क्षेत्राधिकार विहीन घोषित कर इसे अपास्त कर दिया।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं पत्रावली पर मौजूद महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेख एवं साक्ष्य को नजरअन्दाज करते हुए स्वीकृत किया गया है इसके अतिरिक्त उन्होंने बरवक्त नामान्तरकरण स्वीकृति मृतक अभिलिखित खातेदार के विधिक वारिसानों की विधिसम्मत जांच नहीं करवाई और न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आक्षेपित नामान्तरकरण आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उन्होने यह भी तर्क दिया कि प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ ने आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 मृतक सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह की विरासत का प्रत्यर्थीगण के पूर्वज केसर सिंह के नाम स्वीकत कर दिया और उक्त नामान्तरकरण की स्वीकृति का आधार केसर सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनाक 26–3–2008 एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजात है। केसर सिंह द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात संलग्न किये गये है वह क्रमशः ग्राम पंचायत खोरी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र, पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 549 दिनांक 20–3–2008 बहक सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह (मृत्यु दिनांक 27–8–1986), स्वयं का शपथ पत्र, विवादित आराजी की जमांबंदी आदि। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि केसर सिंह ग्राम खोरी पंचायत समिति पीसांगन तहसील पुष्कर का निवासी है और उसकी वास्तविक वल्दियत केसर सिंह पुत्र सुजान सिंह पौत्र तेजसिंह है तथा केसर सिंह के पिता सुजान सिंह पुत्र तेज सिंह की मृत्यु सन् 1961 या उससे पूर्व हो चुकी है जो ग्राम खोरी की निर्वाचक नामावली सन् 1958 एवं नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 21–5–1961 से पूर्णतया स्पष्ट है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 10 सुजान सिंह पुत्र तेज सिंह की मृत्यु के उपरान्त बतौर विरासतन उसके दोनों पुत्र केसर सिंह व गणपत सिंह के नाम ग्राम पंचायत खोरी द्वारा तस्दीक किया गया है तथा केसर सिंह द्वारा विवादित आराजी को हड़पने हेतु फर्जी व जाली दस्तावेज सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह की वल्दियत वाले बनाये गये है जिसमें से उसके द्वारा बनवाया गया मृत्य प्रमाण पत्र बाद विस्तृत जांच उप जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा अपने विधिसम्मत आदेश क्रमांक 54 दिनांक 13–8–2008 से निरस्त किया जा चुका है और निरस्ती आदेश के क्रम संख्या 3 व 7 से स्पष्ट है कि उक्त आदेश की सूचना संबंधित विभाग व तहसीलदार किशनगढ़ तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी एवं ग्राम पंचायत खोरी को भी प्रदान की जा चुकी थी। उक्त आदेश की सूचना ग्राम पंचायत खोरी को होने पर उन्होंने केसर सिंह को प्रदान किया गया सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 26–3–2008 बाबत पुनः समीक्षा हेतु ग्रम पंचायत की विशेष बैठक दिनांक 28–4–2008 को बुलायी गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 2 पारित करते हुए उक्त सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 26–3–2008 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जिसकी सूचना ग्राम पंचायत खोरी ने जरिये अभिभाषक

सार्वजनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति अजमेर के संस्करण में दिनांक 3–5–2008 को पृष्ठ संख्या 16 पर विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रदान कर दी। उक्त समस्त तथ्यात्मक और विधित स्थिति से पूर्णतया स्पष्ट है कि केसर सिंह द्वारा जिन दस्तावेजात के आधार पर स्वयं के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1491 स्वीकृत करवाया गया था वे समस्त दस्तावेजात सक्षम विभाग/अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा निरस्त किये जा चुके है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 के आधार दस्तावेज खारिज हो जाने के कारण इसे किसी भी सूरत में वर्तमान में यथावत अथवा बहाल नहीं रखा जा सकता है। अतः उक्त स्थिति के आधार पर प्रश्नगत अपील के माध्यम से आक्षेपित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार किशनगढ़ ने आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 को स्वीकृत करते समय प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है और उनके द्वारा सम्पादित समस्त कार्यवाही भी प्रारम्भ से ही दूषित है क्योंकि उनके समक्ष केसर सिंह द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिनांक 26–3–2008 को प्रस्तुत किया गया था उसमें उसने विवादित भूमि के खाता संख्या या खसरा नम्बर अथवा ग्राम का विवरण भी अंकित नहीं किया है इसलिए जब प्रार्थना पत्र में भूमि एवं विवादित आराजी के गांव का कोई भी विवरण अंकित ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे अधूरे प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्पादित समस्त कार्यवाही विधिसम्मत नहीं है क्योंकि तहसील किशनगढ में काफी गांव और आराजी का रकबा और खसरे बड़ी तादाद में स्थित है इसलिए विशेष रूप से विवादित आराजी के बाबत केसर सिंह के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करना मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न करता है और केसर सिंह द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वे दस्तावेज ग्राम पंचायत खोरी द्वारा निर्मित है जो पंचायत समिति पीसंगन तहसील पुष्कर में आती है जबकि विवादित आराजी तहसील किशनगढ में स्थित है तथा केसर सिंह ने वल्दियत अथवा मृत्यु संबंधी तहसील किशनगढ़ का एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है और स्वयं केसर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र दोनों में ही स्वयं की उम्र अत्यधिक विभिन्नता प्रार्थना पत्र में 82 वर्ष तथा संलग्न शपथ पत्र में 70 वर्ष वाली अंकित की हुई है। तहसीलदार किशनगढ के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न तो उन्होंने इसे दर्ज रजिस्टर में चढ़ाया और न ही उक्त समस्त बिन्दुओं बाबत विधिसम्मत तरीके से जांच की अथवा करवायी जबकि भिन्न तहसील के दस्तावेज प्रस्तुत होने पर तहसीलदार किशनगढ का न्यायिक दायित्व था कि वे पीसांगन पंचायत समिति या पुष्कर तहसील अथवा ग्राम पंचायत खोरी से उक्त दस्तावेजात के बारे में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो कतई विधिसम्मत नहीं है।

उनके द्वारा यह भी कथन किया कि केसर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ़ से मार्क होने के पश्चात संबंधित पटवारी हलका मदनगंज ने उक्त प्रार्थना पत्र की पुस्त पर जो रिपोर्ट बनाई है उसमें दिनांक का भी अंकन

नहीं किया गया है तथा पटवारी ने उक्त रिपोर्ट में केसर सिंह द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरे को बिना जांच के सही होना अंकित किया है, जो भी न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त पटवारी हलका ने इस रिपोर्ट में सुजान सिंह को एच0एच0 श्री सुमेर सिंह के नौकरी करना एवं 28–30 वर्ष पूर्व मदनगंज को छोड़कर ग्राम खोरी चले जाना बिना किसी साक्ष्य व जांच के अंकित किया है, जबकि संबंधित पटवारी हलका का यह दायित्व था कि वे मृतक खातेदार की मृत्यु काफी अरसे पूर्व लगभग 21 वर्ष पहले हो जाने से अत्यधिक समय बाद सन् 2008 में केसर सिंह द्वारा प्रारम्भ की गई प्रश्नगत नमाान्तरकरण की कार्यवाही को गंभीर रूप से लेकर मदनगंज निवासी मृतक सुजान सिंह के वारिसान की विधिवत तौर पर जांच सम्पादित कर उक्त मृतक की विरासत को नियमानुसार तय करते जिससे कि मृतक के नैसर्गिक प्राकृतिक वारिसान अपने जन्म से मिलने वाले हित व हक से वंचित नहीं हो पाये। केसर सिंह द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही अत्यधिक तीव्रगति से सम्पादित करवाई। उसने दिनांक 26–3–2008 को ग्राम पंचायत खोरी पंचायत समिति पीसांगन तहसील पुष्कर से सजरा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसी दिन तहसील किशनगढ आकर अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 26–3–2008 को ही प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 की सम्पूर्ण कार्यवाही को मात्र आठ दिवस में सम्पादित करवा ली गई उसके बाद स्वयं के नाम दिनांक 2–4–2008 को नामान्तरकरण तस्दीक होते ही सम्पूर्ण विवादित आराजियात का बेचान मात्र तीन दिन पश्चात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5–4–2008 को अजनबी व्यक्ति रामबाबू कसाना पुत्र रामनारायण कसाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम नासनोदा पोस्ट गाडोता तहसील मौजामादाब जिला जयपुर को कर दी। उक्त समस्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि केसर सिंह द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत विवादित आराजी को हड़पने हेतु कई प्रभाव शून्य दस्तावेज गलत तौर पर निर्मित कर विवादित आराजी को स्वयं के नाम कतई गलत तौर पर दर्ज करवाकर उसे बेचान कर न्यायिक अथवा सद्भाविक व्यक्ति की तरह आचरण दर्शित नहीं किया है और सम्पूर्ण प्रक्रिया अविधिक होने से अपास्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि फर्जी दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करवाने के कारण केसर सिंह के विरूद्ध अपीलार्थीगण मोड सिंह द्वारा सक्षम आपराधिक न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) किशनगढ़ में दिनांक 19–4–2008 को एक इस्तगावा संख्या 30/2008 दर्ज करवाया गया जिसकी अनुपालना में एफ.आई.आर संख्या 71/2008 दर्ज की जाकर केसर सिंह के विरूद्ध चार्जशीट संख्या 165/2008 में भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं क्रमश 419, 420, 467, 468, 193 के तहत चालान प्रस्तुत हुआ और केसर सिंह गिरफ्तार भी हुआ किन्तु दौराने प्रकरण अभियुक्त केसर सिंह की मृत्यु हो जाने से उक्त प्रकरण दिनांक 29–11–2012 को फैसल शुमार कर दिया गया। यहां यह भी स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि केसरसिंह विवादित आराजियात के अभिलिखित खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह से पूर्णतया असम्बद्ध अथवा असंगत व्यक्ति है जिसका कोई भी संबंध उक्त खातेदार अथवा इस परिवार से

नहीं है तथा केसरसिंह विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह का किसी भी श्रेणी का वारिस नहीं है किन्तु उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति को नजरअन्दाज कर अभिलिखित खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह का विरासतन नामान्तरकरण केसर सिंह के नाम बतौर वारिस दर्ज करना पूर्णतया गलत एवं अविधिक है इसलिए प्रश्नगत अपील के माध्यम से आक्षेपित नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष अपना सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसे नजर अन्दाज किया जबकि अपीलार्थीगण का सजरा एवं अपीलार्थीगण के तथ्य न तो कही विवादित है और न ही इस संबंध में कोई भी आपराधिक कार्यवाही अपीलार्थीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित आराजी के मूल खातेदार सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह सहवनवश हरनाथ सिंह की मृत्य दिनांक 28–6–1987 को हो चुकी है और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 61/06 दिनांक 20–7–1987 का बना हुआ है और उनकी पत्नी श्रीमती उच्छब कंवर की भी मृत्यु दिनांक 2–12–2007 को हो चुकी है जिनका मृत्यृ प्रमाण पत्र संख्या 753 दिनांक 3–12–2007 का बना हुआ है उक्त दोनों ही मृत्यु प्रमाण पत्र प्रश्नगत नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले के है जिस समय विवादित आराजी के विरासत के बाबत कोई विवाद भी नहीं था। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से अपीलार्थीगण की विरासत एवं वल्दियत कहीं भी विवादित न होने के कारण विवादित आराजी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज की जाना न्यायोचित है इसके अतिरिक्त कब्जे काश्त में भी अपीलार्थीगण चले आ रहे है। विवादित आराजी अपीलार्थीगण के पिता सुजान सिंह की होने से उनकी मृत्यु उपरान्त अपीलार्थीगण के नाम बतौर विरासत दर्ज की जाना न्यायोचित है किन्तु तहसीलदार किशनगढ ने उक्त समस्त स्थिति को नजर अन्दाज कर एक अजनबी व्यक्ति केसर सिंह के नाम विवादित आराजी अक्षेपित नामान्तरकरण से दर्ज कर गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 निरस्त कर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31–3–2008 को स्वीकार कर विवादित आराजियात अपीलार्थीगण के नाम बतौर विरासत दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाष की एक पक्षीय सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 11 के पिता केसर सिंह के पक्ष में विरासतन नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार, किशनगढ़ के समक्ष स्व0 केसर सिंह द्वारा दिनांक 26–3–2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न तो ग्राम का नाम अंकित है तथा न ही खसरा नम्बर अंकित है, जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा त्वरित कार्यवाही

करते हुए रेस्पोन्डेन्ट् के नाम विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट केसर सिंह द्वारा तत्समय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में स्वयं की आयु 70 वर्ष अंकित की गई है जबकि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र में उसकी आयु 82 वर्ष अंकित होना सन्देह उत्पन्न करता है। ग्राम खोरी की जमाबंदी सम्वत 2025 से 28 में मृतक सुजान सिंह के वारिस में प्रत्यर्थीण के अतिरिक्त श्री गणपत सिंह का भी नाम दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत 2013–16 में मृतक सुजान सिंह के पिता का नाम श्री तेज सिंह दर्ज है तथा पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की भाग संख्या 47 ग्राम खोरी की निर्वाचक नामावली में भी मृतक सुजान सिंह के पिता का नाम तेज सिंह तथा श्री केसर सिंह तथा गणपत सिंह पुत्र के रूप में दर्ज है।

प्रत्यर्थीगण संखया एक के पति एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 11 के पिता स्व0 केसर सिंह द्वारा विवादित आराजी को हड़पने हेतु फर्जी व जाली दस्तावेज द्वारा सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह की वल्दियत वाले बनाये गये है जिसमें से उसके द्वारा बनवाया गया मृत्य प्रमाण पत्र बाद विस्तृत जांच उप जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा निरस्त किया जा चुका था उक्त आदेश की सूचना संबंधित विभाग व तहसीलदार किशनगढ़ तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी एवं ग्राम पंचायत खोरी को भी दी की जा चुकी थी। उक्त आदेश की सूचना ग्राम पंचायत खोरी को होने पर उन्होंने केसर सिंह को प्रदान किया गया सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 26–3–2008 बाबत पुनः समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक दिनांक 28–4–2008 को बुलायी गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 2 पारित करते हुए उक्त सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 26–3–2008 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जिसकी सूचना ग्राम पंचायत खोरी ने जरिये अभिभाषक सार्वजनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति अजमेर के संस्करण में दिनांक 3–5–2008 को पृष्ठ संख्या 16 पर विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रदान कर दी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्व0 केसर सिंह एवं उनके वारिसान ग्राम खोरी पंचायत समिति पीसांगन तहसील पुष्कर के निवासी है जबकि विवादग्रस्त आराजियात गत खसरा नम्बर 212 मिन रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बरान 336 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 337/1 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 339 रकबा 6 बीघा कुल किता 3 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा मदनगंज किशनगढ़ में स्थित है जिसके मूल रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण के पिता सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढ़ थे। अपीलार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर उनके पूर्वज सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह के विधिक वारिसान है। तहसीलदार, किशनगढ द्वारा विवादित आराजियात के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना विवादित नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 स्वीकृत किया गया है जबकि विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण पुत्रगण सुजान सिंह निवासी मदन गंज किशनगढ़ विधिक वारिसान है। इसके अतिरिक्त फर्जी दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करवाने के कारण केसर सिंह के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम आपराधिक न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) किशनगढ़ में दिनांक 19–4–2008 को

एक इस्तगावा संख्या 30/2008 दर्ज करवाया गया जिसकी अनुपालना में एफ. आई.आर संख्या 71/2008 दर्ज की जाकर केसर सिंह के विरूद्ध चार्जशीट संख्या 165/2008 में भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं क्रमश 419, 420, 467, 468, 193 के तहत चालान प्रस्तुत हुआ और केसर सिंह गिरफ्तार भी हुआ किन्तु दौराने प्रकरण अभियुक्त केसर सिंह की मृत्यु हो जाने से उक्त प्रकरण दिनांक 29–11–2012 को फैसल शुमार कर दिया गया। यहां यह भी स्पष्ट है कि केसर सिंह का विवादित आराजियात के अभिलिखित खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह से कोई भी संबंध उक्त खातेदारान अथवा इस परिवार से नहीं है तथा केसरसिंह विवादित आराजी के मूल खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह का किसी भी श्रेणी का वारिस नहीं है किन्तु उक्त समस्त तथ्यों नजरअन्दाज कर अभिलिखित खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह का विरासतन नामान्तरकरण केसर सिंह के बतौर वारिस दर्ज करना पूर्णतया गलत एवं अविधिक है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार किशनगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 अविधिक होने से निरस्त किया जाने योग्य होने से तहसीलदार किशनगढ को निर्देश दिया जाना न्यायोचित होगा कि वे अपीलार्थीगण पुत्रगण सुजान सिंह का नाम बतौर विरासतन राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 02–04–2008 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजियात का विरासतन नामान्तरकरण अपीलार्थीगण पुत्रगण सुजान सिंह (पुत्र स्व0 धूल सिंह) का नाम बतौर विरासतन राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर